



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017 /153

दायरा दिनांक 06.06.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. आन्नदसिंह पुत्र हडमानसिंह 2. मेघसिंह पुत्र हडमानसिंह 3. गुलाबकंवर पत्निहडमानसिंह 4. सुल्तानसिंह पुत्र धन्नेसिंह 5. जयपालसिंह पुत्र धन्नेसिंह 6. ईचरजकंवर पत्नि धन्नेसिंह सम्स्त जाति राजपूत निवासी बेगसर तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नरपतसिंह पुत्र भगवानसिंह 2. दशरथसिंह पुत्र भगवानसिंह 3. सुव्यारकंवर पत्नि भगवानसिंह 4. रूपकंवर पुत्री भगवानसिंह सम्स्त जाति राजपूत निवासी बेगसर तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान 5. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी

उपस्थित-

1. वादीगण उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण सं० 01,ता 04 स्वयं उपस्थित।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

--: निर्णय ::--

दिनांक 06.006.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा बेगसर की शरहद में खेत ख. न. 448 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। जो पैत्रिक सम्पति है। तथा वादीगण के दादा रिडमलसिंह की खातेदारी में दर्ज रही है।

वादीगण के पुर्वज हडमानसिंह व प्रतिवादीगण के पुर्वज भगवानसिंह दो भाई थे। तथा उपरोक्त खेत पर 1/2 हिस्सा हडमानसिंह के वारिसान का कब्जा काश्त है तथा 1/2 हिस्से पर भगवानसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 का कब्जा काश्त है।

प्रार्थना वादी है कि

मौजा बेगसर की शरहद में खेत ख. न. 448 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जावे।


वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को वास्ते जवाबदेही केम्प कोर्ट बेगसर में हाजिर होने बाबत जरिये मौजिज व्यक्ति से तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर में उपस्थित हुये और राजीनामा पेश किया जो स्वीकार किया गया। प्रतिवादी ने अपनी खातेदारी अधिकार की भूमि में से वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि देने बाबत सहमति प्रदान की।


प्रतिवादी व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन किया गया।

आदेश


हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा मौजा बेगसर की शरहद में खेत ख. न. 448 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा वादीगण


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
(लगातार)

का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 का घोषित किया जाता।
इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर
जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.06.2017 को कोर्ट कैम्प बेगसर में
सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (तहरीर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिगरी बमुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
कोर्ट कॅम्प ग्राम पंचायत बेगसर

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 153/2017

दायर दिनांक 06.06.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. आन्नदसिंह पुत्र हडमानसिंह 2. मेघसिंह पुत्र हडमानसिंह 3. गुलाबकंवर पत्निहडमानसिंह 4. सुल्तानसिंह पुत्र धन्नेसिंह 5. जयपालसिंह पुत्र धन्नेसिंह 6. ईचरजकंवर पत्नि धन्नेसिंह सम्स्त जाति राजपूत निवासी बेगसर तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नरपतसिंह पुत्र भगवानसिंह 2. दशरथसिंह पुत्र भगवानसिंह 3. सुव्यारकंवर पत्नि भगवानसिंह 4. रूपकंवर पुत्री भगवानसिंह सम्स्त जाति राजपूत निवासी बेगसर तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान 5. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी

दिनांक 06.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिव मुदई, वादीगण व, प्रतिवादीगण उपस्थित की ओर से मद्दायलह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है कि-

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा मौजा बेगसर की शरहद
में खेत ख. न. 448 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा वादीगण
का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 का घोषित किया जाता।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।


इसी अनुरूप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिकरी पर्चा जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.08.2017 को जारी की गयी।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)